न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 98/2011

मोती आयु 54 वर्ष आत्मज रामनारायण जाति गुर्जर निवासी ग्राम औंकारपुरा तहसील एवं जिला बून्दी ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. अणदीलाल आत्मज रामनारायण जाति गुर्जर निवासी ग्राम औंकारपुरा तहसील एवं जिला बून्दी ।
2. ढालचन्द आत्मज रामनारायण जाति गुर्जर निवासी औंकारपुरा तहसील एवं जिला बून्दी
3. हीरा आत्मज रामनारायण जाति गुर्जर निवासी ग्राम झरबालापुरा तहसील एवं जिला बून्दी ।
4. नन्दकिशोर आत्मज दुर्गालाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम औंकारपुरा तहसील एवं जिला बून्दी ।
5. श्रीमती ममता पुत्री दुर्गालाल पत्नी प्रेमा जाति गुर्जर निवासी कालपुरिया तहसील एवं जिला बून्दी ।
6. श्रीमती सोसर बेवा दुर्गालाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम औंकारपुरा तहसील एवं जिला बून्दी ।
7. राजस्थान राज्य द्वारा श्रीमान् तहसीलदार, बून्दी ।
8. राजस्थान राज्य द्वारा जिला कलक्टर महोदय, बून्दी ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री धीरेन्द्र चौधरी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 16.03.2020

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.12.2010 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट क्रम 01 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 एवं 88 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम झरबालापुरा तहसील एवं जिला बून्दी में खसरा नम्बर 1802/1353 की रकबा 04 बीघा भूमि स्थित है । इसी प्रकार ग्राम झरबालापुरा में खसरा नम्बर 1183 रकबा 04 बीघा भूमि स्थित है । उक्त भूमि गैर खातेदारी में बादी एवं प्रतिवादी ढालचन्द, मोती, हीरा व मृतक दुर्गालाल के नाम दर्ज है । दुर्गालाल का निधन 8–10 वर्ष पूर्व हो चुका है किन्तु फौती इंतकाल नहीं खोला गया है । इस कारण बंटवारे के इस बाद में वादी प्रथमतः दुर्गालाल का

निधन हो जाने के कारण उसके वारिसान का उसके हिस्से का स्वामी घोषित करवाने का अधिकारी है । दुर्गालाल का निधन हो चुका है और उनके वारिसान उनका पुत्र नन्दकिशोर पुत्री श्रीमती ममता व उसकी बेवा श्रीमती सोसरबाई हैं इनका सम्मिलित रूप से 1/5 हिस्सा है । वादपत्र की चरण संख्या 02 में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 1183 पर वादी और प्रतिवादीगण के पिता श्रीं रामनारायण जिनका सन् 1974 में निधन हो गया । उनके जीवनकाल में 15–20 वर्षों से इस भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं । उनके निधन के बाद उक्त भूमि को वादी एवं प्रतिवादीगण जोतते चले आ रहे हैं । वादी एवं प्रतिवादीगण उक्त भूमि पर प्रभावशील कानून व नियमों के अन्तर्गत खातेदार हो चुके हैं परन्तु उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में अभी भी गैर खातेदारी में दर्ज है । पक्षकारान वादग्रस्त आराजी का विभाजन कराने के अधिकारी हैं ।

3. अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर दुर्गालाल पुत्र श्री रामनारायण का निधन हो जाने से उसके वारिसान प्रतिवादी क्रम 4, 5 व 6 हैं । वर्तमान जमाबन्दी में दुर्गालाल के वारिसान के रूप में प्रतिवादी क्रम 4, 5 व 6 का नाम अंकित किया जावे और उनको सम्मिलित रूप से 1/5 हिस्से का खातेदार अंकित किया जावे । खसरा नम्बर 1183 रकबा 04 बीघा में वादी व प्रतिवादी क्रम 1, 2 व 3 का प्रत्येक का 1/5 भाग व प्रतिवादी क्रम 4, 5 व 6 का सम्मिलित रूप से 1/5 भाग होने का गैर खातेदार के बजाए खातेदार की घोषणा की जावे । दोनों वादग्रस्त आराजी का वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1, 2 व 3 एवं सम्मिलित रूप से प्रतिवादी क्रम 4, 5 व 6 के मध्य विभाजन किया जाकर प्रत्येक का 1/5 – 1/5 हिस्सा अंकित किया जावे तथा प्रत्येक के हिस्से में आये प्रत्येक टुकडे का अलग नम्बर किया जाकर नक्शा ट्रेस में भी उसी प्रकार चिन्हित किया जावे एवं लगान भी पृथक कायम किया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.12.2010 के द्वारा वाद वादी स्वीकार कर डिक्री कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.12.2010 से व्यथित होकर अपीलान्ट प्रतिवादी क्रम 02 ने न्यायालय हाजा में अपील पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो विभाजन की डिक्री पारित की गई है वह निष्पादित दस्तावेजात के अनुसार वास्तविक नहीं है । रिलीज डीड दिनांक 20.04.2010 के अनुसार रेस्पोडेन्ट क्रम 04, 05 एवं 06 द्वारा अपना हिस्सा अपीलान्ट को परित्याग कर दिया गया है जो भूमि खसरा नम्बर 1183 रकबा 04 बीघा में 1/5 हिस्सा रिलीज किया गया है । इस प्रकार इस आराजी में अपीलान्ट का 4/5 हिस्सा हो जाता है लेकिन इस हिस्से को नजरअन्दाज कर बंटवारा किये जाने में त्रुटि की है । वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1802/1353 में रेस्पोडेन्ट क्रम 2 व 3 ने अपना हिस्सा 2/5 व रेस्पोडेन्ट क्रम 04, 5 एवं 6 ने अपना हिस्सा 1/5 को जरिये रिलीज डीड द्वारा अपीलान्ट के पक्ष में रिलीज किया है लेकिन इस रिलीज डीड को नजरअन्दाज किया गया है । सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजी में अपीलान्ट का रिलीज डीड ग्रहण के बाद 4/5 हिस्सा निहित हो गया है लेकिन बंटवारे में उक्त हिस्सा अपीलान्ट का अंकित नहीं किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.12.2010 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक अन्य प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपना निर्णय दिनांक 01.12.2010 को पारित किया गया है । प्रार्थी ने नकल हेतु दिनांक 20.12.2010 को प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर दिनांक 21.01.2011 को नकल प्राप्त हुई । प्रार्थी ने सोचा कि रिलीज डीड के आधार पर मेरा हिस्सा निर्णय में मिल चुका है । प्रार्थी पढा लिखा नहीं है और नकल को घर पर रखा दिया । इसी दौरान प्रार्थी बीमार हो गया और अपने वकील साहब से सम्पर्क नहीं कर सका । प्रार्थी स्वस्थ होने पर दिनांक 01.11.2011 को अपने वकील साहब से पास गया और निर्णय की प्रति दिखाई तब उक्त निर्णय की जानकारी प्राप्त हुई जिस पर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने पर अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1802/1353 रकबा 04 बीघा एवं खसरा नम्बर 1183 रकबा 04 बीघा ग्राम झरबालापुरा में स्थित है । वादग्रस्त आराजी में वादी आणन्दी लाल प्रतिवादी ढालचन्द, मोती, हीरा व मृतक दुर्गालाल का नाम अंकित हो रहा है और आराजी खातेदारी व गैर खातेदारी में है । दुर्गालाल की मृत्यु हो चुकी है उसके वारिसान प्रतिवादी क्रम 4, 5 व 6 हैं । दुर्गालाल का निधन होने के उपरान्त फौती इंतकाल नहीं खोला गया । इस कारण बंटवारे के वाद में दुर्गालाल का निधन हो जाने के कारण उसके वारिसान उसके हिस्से के स्वामी घोषित होने के अधिकारी है । पक्षकारान वादग्रस्त आराजी का विभाजन करवाना चाहते हैं । पत्रावली जवाबदावे में लम्बित थी इसको प्रशासन गॉवों के संग लोक अदालत में रखा गया और पक्षकारों के मध्य बंटवारा किया गया परन्तु अपीलान्ट के पक्ष में निष्पादित रिलीजडीड को रिकॉर्ड पर नहीं लिया गया । रिलीज डीड की रोशनी में किया गया बंटवारा विधिक नहीं है । अपीलान्ट का वादग्रस्त आराजी में 4/5 हिस्सा बनता है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.12.2010 को संशोधित किया जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

10. अधीनस्थ न्यायालय में वादी के द्वारा एक दावा विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया था । दावे के समर्थन में नकल जमाबन्दी नया खाता संख्या 08 संलग्न है जिसके अनुसार ग्राम झरबालापुरा की आराजी खसरा नम्बर 1802/1353 रकबा 04 बीघा भूमि अणदीलाल, दुर्गा, ढालचन्द, मोती, हीरा पिता रामनारायण के खातेदारी में दर्ज है । एक अन्य नकल जमाबन्दी संवत् 2063–2066 संलग्न है जिसमें खसरा नम्बर 1183 रकबा 04 बीघा में

आनन्दीलाल, दुर्गालाल, ढालचन्द, मोती, हीरा पिसरान रामनारायण सहखातेदार दर्ज हैं । पत्रावली पर दिनाक 01.12.2010 का पक्षकारों के द्वारा निष्पादित सहमति बंटवारा संलग्न है इस सहमति बंटवारे पर अपीलान्ट मोती लाल की भी निशानी अंगूठा एवं अन्य सहखातेदारों की भी निशानी अंगूठा और हस्ताक्षर हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने इस सहमति बंटवारे के आधार पर लोक अदालत में दावा वादी स्वीकार कर विभाजन की डिक्री पारित की है ।

11. हमने सहमति पत्र का अवलोकन किया । सहमति पत्र में मात्र खसरा नम्बर 1802/1353 दर्ज है । दूसरा खसरा नम्बर 1183 जो कि पक्षकारों की गैर खातेदारी में दर्ज है का उल्लेख इसमें नहीं किया गया है और अधीनस्थ न्यायालय ने इस सहमति पत्र के आधार पर दोनों वादग्रस्त आराजी के बाबत् विभाजन की डिक्री पारित की है । यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि यह सहमति विभाजन पत्र परीक्षण न्यायालय के द्वारा तस्दीक भी नहीं किया गया है । इस प्रकार राजीनामा परीक्षण न्यायालय के द्वारा तस्दीक नहीं किया गया है और राजीनामे में जो आराजी का उल्लेख किया गया है उसके अतिरिक्त अन्य आराजी का भी बंटवारा अपीलाधीन निर्णय के तहत परीक्षण न्यायालय ने किया है जो विधि– विरूद्ध है । अपीलान्ट ने अपील में जो रिलीजडीड पेश की है वो परीक्षण न्यायालय में पेश नहीं की गई है ।

12. यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि 03 रिलीज डीड जो पेश की गई हैं वो तीनों ही दिनांक 20.04.2010 की हैं और इसमें से दो रिलीज डीड में खसरा नम्बर 1183 की आराजी के बाबत् रिलीज किया जाना अंकित किया गया है जबकि खसरा नम्बर 1183 की आराजी संलग्न राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार पक्षकारान की संयुक्त गैर खातेदारी में दर्ज है । एक रिलीज डीड खसरा नम्बर 1802/1353 के लिए भी निष्पादित की गई है ।

13. यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि ममता एवं सोसर पेश किये राजस्व रिकॉर्ड में सहखातेदार दर्ज नहीं हैं और फिर भी उनके द्वारा रिलीज डीड का निष्पादित किया गया है । इन समस्त तथ्यों के आधार पर हम इस प्रकरण को पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना आवश्यक समझते हैं ।

14. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री 01.12.2010 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में यदि पक्षकारान राजीनामा पेश करना चाहते हैं तो उनसे नये सिरे से विधिक राजीनामा प्राप्त कर विधि सम्मत निर्णय पारित करें और यदि पक्षकारान राजीनामा पेश नहीं करना चाहते हैं तो जवाबदावा प्राप्त कर दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर विधि सम्मत रूप से तनकीवार निर्णय पारित करें। पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 06.05.2020 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

15. निर्णय आज दिनांक 16.03.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

16/3/2020

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा